वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, परफेक्ट मिशन, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 10.08.2024

भदैनी में वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शनिवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि भेलूपुर वार्ड के भदैनी में श्याम किशोर अग्रवाल अवैध तरीके से निर्माण कर रहे थे। नोटिस जारी करने के बाद भी निर्माण जारी था उसे सील कर दिया गया है। (जासं)

दैनिक जागरण –दि0 10.08.2024

छह दिन में 56 यूनिट के ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास

जासं, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 56 यूनिट के ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र छह दिन में स्वीकृत किया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि जीटी रोड रोहनिया में विकासकर्ता विजनरी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मानचित्र के लिए आवेदन किया था। ग्रुप हाउसिंग 2661 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 56 यूनिट प्रस्तावित था। एक टावर 10 मंजिल का होगा। इससे वीडीए को 79,45,805 रुपये राजस्व मिला।

अमर उजाला –दि0 10.08.2024

8.5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की

वाराणसी। वीडीए की टीम ने शुक्रवार को अलग-अलग जोन में 8.5 बीघे जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि रामनगर के गौरइयां थाना अलीनगर चंदौली में पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दुबे समेत अन्य मौजूद रहे। वहीं जोन टू में सारनाथ के मौजा साई, थाना-चोलापुर में 3.5 बीघा जमीन की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। उधर, वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने बताया कि शुक्रवार को जोन-4 में प्रवर्तन टीम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। बताया कि भेलूपुर के तहत श्याम किशोर अग्रवाल पुत्र ओम कुमार अग्रवाल बिना मानचित्र पास कराने भवन निर्माण करा रहे थे। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 10.08.2024

21 अगस्त से वीडीए मनाएगा सेवा सप्ताह

वाराणसी। कमिश्नर कौशल राज शर्मा और वीडीए वीसी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में वीडीए के इसी सप्ताह 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। कमिश्नर ने कहा कि 21 अगस्त से 28 अगस्त तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा और इसके तहत होने वाले कार्यक्रम तय किए जाएंगे। बैठक में वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुणाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानंद यादव और टाउन प्लानर प्रभात कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो

आज –दि0 10.08.2024

आठ बीघा प्लाटिंग पर चली जेसीबी

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध शुक्रवार को भी विप्रा का ध्वस्तीकरण अभियान चालू रहा। शुक्रवार को सारनाथ के मौजा-सांई में ३.५ बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। जानकारी मिलने पर विप्रा के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जय प्रकाश गुप्त, स्थानीय थाने की पुलिस, सुपरवाइजर, प्रवर्तन दल ने जेसीबी के सहयोग से प्लाटिंग पर हुये निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया। इसी प्रकार वार्ड-रामनगर गौरइयां में पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। यहां भी जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दूबे, सुपरवाइजर, निकटम थाने की पुलिस के अलावा प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने जेसीबी के माध्यम से प्लाट में हुये निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। इन दोनों जगहों पर विप्रा का बोर्ड लगा दिया गया।

हिन्दुस्तान –दि0 10.08.2024

अवैध निर्माण सील दो प्लाटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने शुक्रवार को भदैनी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 20 गुणे 80 वर्गफीट में हुआ अवैध निर्माण पर सील करा दिया। रामनगर वार्ड के गौरइयां (चंदौली) में पांच बीघा जबकि सारनाथ वार्ड के साई क्षेत्र में 3.5 बीघा में हुई अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई।

वीडीए का सेवा सप्ताह 21 से: वीडीए के गठन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्राधिकरण 21 से 28 अगस्त तक सेवा सप्ताह मनाएगा। शुक्रवार को कमिश्नरेट सभागार में वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बैठक में इसकी तैयारी की जानकारी ली। इस दौरान सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 10.08.2024

वीडीए ने रामनगर में पांच बीघे में किये जा रहे अवैध प्लाटिंग का किया ध्वस्तीकरण

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जनपद में हो रही अवैध प्लाटिंग व निर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान वीडीए प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को रामनगर में अज्ञात के द्वारा मौजा गौरइयां थाना अलीनगर जिला चन्दौली में पांच बीघा जमीन पर प्लाटिंग विकसित किया जा रहा था। शुक्रवार को प्रवर्तन टीम एवं क्षेत्रीय पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया।इस कार्यवाही में जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दूबे, प्रवर्तन टीम सहित समस्त सुपरवाइजर व क्षेत्रीय पुलिस बल के लोग उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 10.08.2024

वाविप्रा के पचास वर्ष पूर्ण होने पर तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

वाराणसी। मंडला आयुक्त कौशल राज शर्मा, वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में कमिशन्रेट सभागर में वाराणसी विकास प्राधिकरण के पचास वर्ष के पूर्ण होने पर तैयारीयों के सन्दर्भ में बैठक की गयी। जिसमे कार्यक्रम की रुपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गयी। उक्त बैठक में 21.08.2024 से 28.08.2024 के सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाये जाने का निर्देश दिया गया।डबैठक में दौरान प्राधिकरण सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुणाकेश शर्मा, सयुक्त सचिव परमानंद यादव एवं टाउन प्लानर प्रभात कुमार आदि उपस्थित रहें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 10.08.2024

प्राधिकरण द्वारा जीटी रोड से रोहनिया डीएलडबल्यू मार्ग पर स्थित भूमि पर 56 यूनिट की समूह आवास योजना स्वीकृत

वाराणसी। वाविप्रा द्वारा प्लॉट नं. 2K, 2KH, 1K, 1kH, 7K,7Kh,6, भुल्लनपुर परगना देहात अमानत, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर मुख्य राष्ट्रीय राज मार्ग से निकट हुये भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र मात्र 06 दिन मे स्वीकृतड किया गया है।विकासकर्ता डविज़नरी रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण मे समूह आवास योजना हेतु 2661 वर्गमीटर नेट क्षेत्रफल भूमि पर प्रस्तावित 56 यूनिट की ग्रुप हाउसिंग स्कीमड का मानचित्र आनलाइन जमा किया था, वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानचित्र अनुभाग द्वारा उक्त 56 यूनिट के 01 टावर के प्रस्तावित मानचित्र को जिसमे डबेसमेंट, स्टिल्ट एवं 10 तल है, को मात्र 06 दिवस से कम समयावधि मे पासड कर दिया गया। परियोजना मे विकासकर्ता द्वारा भवन उपविधि एवं सुसंगत नियमो के अंतर्गत समस्त सुविधाओ को प्रदान किया जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण को इस परियोजना स्वीकृति से 7945805/-(नवासी लाख पैतालीस हजार आठ सौ पाँच रुपये) का राजस्व प्राप्त होगा।परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक टावर मे डस्टिल्ट व बेसमेंट पर पार्किंग एवं प्रथम से आठवे तल तक प्रत्येक तल पर 06 फ्लैट तथा नवां एवं दशम तल पर 04 फ्लैट कुल 56 फ्लैट की अवधारणाड की गयी है। इसके अतिरिक्त परियोजना मे ड57 कार पार्किंग तथा 18 टू स्टैक कार कुल 75 कार पार्किंग एवं आवश्यकतानुसार दो पहिया वाहनो की नियमानुसार पर्याप्त पार्किंग प्रस्तावितड है। परियोजना मे स्टिल्ट व बेसमेंट तल पर पार्किंग, ग्रीन क्षेत्र, अन्य सुविधाएं यथा वाशरूम, लिफ्ट,सीढी इत्यादि का प्रावधान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत विभिनन कार्पेट एरिया के 02/03 BHK फ्लैट उपलब्ध है ।इस परियोजना से क्षेत्र विशेष का नियोजित विकास किया जा सकेगा तथा आमजनमानस की आवास संबन्धित आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सकेगी।

न्यायाधीश—दि0 10.08.2024

वाविप्रा द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-रामनगर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा गौरइया थाना-अलीनगर जिला-चन्दौली मे 05 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 09/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री पी0एन0 दूबे एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।इस क्रम मे वार्ड-सारनाथ के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा-साईं, थाना-चोलापुर जिला-वाराणसी मे 3.5 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 09/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जय प्रकाश गुप्ता प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदे तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाविप्रा ने किया अवैध निर्माण सील

वाराणसी ।वार्ड- भेलूपुर के अन्तर्गत श्याम किशोर अग्रवाल पुत्र ओम कुमार अग्रवाल भवन संख्या- बी-2/247", मौजा- भदैनी, वार्ड-भेलूपुर, जिला- वाराणसी मे बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 2080 वर्गफीट के क्षेत्रफल मे पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त कर भूतल पर लगभग 2030 के क्षेत्रफल मे निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) व 28 (ए) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान मे लगभग 2080 वर्गफीट के क्षेत्रफल मे पूर्व निर्मित भवन को ध्वस्त कर भूतल पर लगभग 2030 के क्षेत्रफल मे निर्माण कर भूतल पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया ।जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री राकेश कुमार सिंह, मौजूद रहे।उपाध्यक्ष वविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।